

राज्यपाल की भूमिका: चुनौतियाँ और सुधार प्रस्ताव

यह एडिटोरियल 21/11/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "It is high time the colonial institution of the governor is reined in" लेख पर आधारित है। इसमें तमलिनाडु के राज्यपाल की भूमिका की आलोचना की गई है, जहाँ राज्यपालों द्वारा वधियकों पर कार्रवाई नहीं करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गंभीर चिता व्यक्त करने के बाद उन्होंने कई लंबती वधियक राज्य सरकार को लौटा दिया है।

प्रलिमिस के लिये:

[राज्यपाल, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 361, पुंछी आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, धन वधियक, अनुच्छेद 31 A, वैकटचलैया आयोग, राज्य नीति के निदिशक सदिधांत](#)

मेन्स के लिये:

वधियक पारति करने, चुनौतियाँ, आगे बढ़ने की राह और वभिन्न समतियों द्वारा की गई सफिरशिंग से संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ

तमलिनाडु के [राज्यपाल](#) से जुड़े मुद्दे ने एक बार फिर राज्यपाल (**Governor**) नामक औपनिवेशिकी संस्था को बनाये रखने के मुद्दे को उजागर किया है। [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने उन्हें याद दिलाया कि वह नियोजित प्राधिकारी नहीं हैं और उन्हें नियोजित सरकार के नियंत्रण को यूँ लटकाए नहीं रखना चाहिये, जिसके बाद उन्होंने तमलिनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा सहमती के लिये उन्हें भेजे गए सभी 10 वधियक वापस कर दिये। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन वधियकों को सहमतिप्राप्त हो, इन वधियकों को फिर से पारति करने के लिये तमलिनाडु विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष सत्र का आहवान किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्नादरमुक मंत्ररियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी, तमलिनाडु लोक सेवा आयोग में नियुक्ति और कैदियों की समय से पूरव रहिए के संबंध में राज्य सरकार के नियंत्रण को राज्यपाल द्वारा बना किसी स्पष्ट कारण के अभी भी अवरुद्ध रखा गया है।

वधियकों को पारति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ

- वधियकों को पारति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के [अनुच्छेद 200](#) और [अनुच्छेद 201](#) द्वारा प्रभावित हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई वधियक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास नियन्त्रिति विकल्प होते हैं:
 - वह वधियक पर सहमतिदें सकता है, जिसका अर्थ है कि वधियक एक अधिनियम बन जाता है।
 - वह वधियक पर अपनी सहमतिरिक्त सकता है, जिसका अर्थ है कि वधियक नियसित कर दिया गया है।
 - वह वधियक (**यदि वह धन वधियक नहीं है**) को वधियक पर या उसके कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।
 - यदि उक्त वधियक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बना संशोधनों के दोबारा पारति किया जाता है तो राज्यपाल इस पर अपनी सहमतिनहीं रोक सकता।
 - वह वधियक को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर सकता है, जो या तो वधियक पर सहमतिदें सकता है या अनुमतिरिक्त सकता है, या राज्यपाल को वधियक को पुनर्विचार के लिये राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का नियंत्रण दे सकता है।
 - यदि वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थितिको खतरे में डालता है तो राज्यपाल द्वारा वधियक पर रोक लगाना अनिवार्य है।
 - वधियक संविधान के प्रावधानों, [राज्य के नीतिनिदिशक सदिधांतों](#), देश के व्यापक हति या गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व के विरुद्ध है, या संविधान के [अनुच्छेद 31 A](#), के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है—यह तय करना राज्यपाल के विकाधीन है।

राज्यपाल के पद से संबंधित चुनौतियाँ

- **राज्यपालों की नियुक्ति:** राज्यपाल की नियुक्तिकोंदर सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे राज्यपाल की राजनीतिकी तटस्थिता और नियन्त्रिता पर सवाल खड़े होते हैं।
 - ऐसे दृष्टिकों सामने आते रहे हैं जब कोंदर में सततारूढ़ दल के किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया या राजनीतिकी कारणों से उसे हटा दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया।

- यह राज्यपाल के पद की गरमी और स्थिरता को कमज़ोर करता है।
- **राज्यपालों की भूमिका और शक्तियाँ:** संवधान के तहत राज्यपाल को विभिन्न भूमिकाएँ और शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारति विधियों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रपोर्ट भेजना और कुछ राज्यों में वशीष्ट उत्तरदायतिवों का नियवहन करना।
 - हालांकि, ये भूमिकाएँ और शक्तियाँ प्रायः राज्यपाल के विकाधीन (**discretion**) होती हैं, जिससे नियवाचति राज्य सरकार के साथ टकराव की स्थिति बिन सकती है।
 - तमलिनाहु जैसे मामले सामने आते रहे हैं, जहाँ राज्यपालों ने विधियों पर सहमति देने में देरी की या उन्हें रोक दिया, राज्य सरकारों को बरखास्त या भंग कर दिया, राष्ट्रपति शिकायत की या राज्य विशेषदियालयों के कामकाज में हस्तक्षेप किया।
 - इन कार्रवाइयों की राज्य सरकारों या विधिक्षी दलों द्वारा मनमानी, पक्षपातपूरण या असंवैधानिक के रूप में आलोचना की गई।
- **राज्यपालों की जवाबदेही और प्रतरिक्षा:** यद्यपि राज्यपाल को राज्य सरकार में राष्ट्रपति के समकक्ष माना जाता है, वास्तविकता यह है कि वे केंद्र सरकार के एजेंट रहे हैं और बने रहेंगे, जिन्हें लोकप्रयोग रूप से नियवाचति राज्य सरकारों की शक्तिपर नियंत्रण के लिये नियुक्त किया जाता है।
 - राज्यपाल को केंद्र सरकार की मर्जी पर पद से हटाया जा सकता है।
 - राज्यपाल इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब तक वे केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, वे अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य के प्रमुख के रूप में वे पद पर बने रहते हुए अपने कार्यों के लिये न्यायालयों के प्रतिवादी जवाबदेह नहीं होते (**अनुच्छेद 361**)।

राज्यपाल के पद के संबंध में संवधान नियमाताओं के क्या विवाद थे?

- संवधान सभा के कुछ सदस्य, जैसे दक्षणियनी वेलायुधन, विश्वनाथ दास और एच.वी. कामथ राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों के प्रतिक्रिया आलोचक थे।
 - उनका तरक्की का सिंवधान का मसौदा **भारत सरकार अधिनियम 1935** की प्रतिकृति है जहाँ केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया गया है।
 - उन्हें यह भी भय था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे।
- दूसरी ओर, संवधान के **मुख्य वास्तुकार** **बी.आर. अंबेडकर** ने राज्यपालों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों का विवाद किया।
 - उन्होंने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव करने के लिये बहुत कम समय था और राज्यपालों को केवल राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना है, न कि उन पर अधिभावी होना है।
 - राज्यपाल द्वारा केंद्र के अनुसार कार्य करने की आशंका—जिसकी संभावना कई सदस्यों द्वारा उजागर की गई, को डा. अंबेडकर द्वारा संवैधानिक नहीं किया गया।
 - उन्होंने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि राज्यपाल संबंधी प्रावधानों में कोई सुधार कर्यों नहीं किया गया, जबकि उत्तर सरकार अधिनियम 1935 के कई प्रावधानों को आवश्यकतानुसार सुधार के साथ संवधान में शामिल किया गया था।

क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिये?

- राज्यपालों द्वारा इस तरह के आचरण पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रायः यह होती है कि इस संस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।
- हालांकि यह दृष्टिकोण अवधिकारी और अनावश्यक दोनों है।
 - अवधिकारी इसलिये क्योंकि **वेस्टमिस्टर संसदीय लोकतंत्र** (Westminster parliamentary democracy) में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और राज्यपाल का पद समाप्त करना पूरी प्रणाली को समाप्त करने के समान होगा।
 - अनावश्यक इसलिये क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप या संवैधानिक सुधार जैसे व्यवहार्य विकल्प पहले से मौजूद हैं।

कौन-से क्या सुधार उपाय किये जा सकते हैं?

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालों के आचरण की नियन्त्रण करना जारी रख सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रण या टपिपणियाँ जारी कर सकता है कि वे संवधान एवं कानून के अनुसार कार्य करें।
 - इससे राज्यपालों की मनमानी या पक्षपातपूरण कार्रवाइयों को रोकने और भारतीय राजनीति के संघीय सदिधांत को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- **वर्तमान नियुक्ति और नियन्त्रण प्रक्रिया** में सुधार करना: राज्यपालों की नियुक्ति और नियन्त्रण की प्रक्रिया को बदलने के लिये संवधान में संशोधन किया जा सकता है, जैसा 'हेडस हेल्ड हाई' के लेखकों ने सुझाव दिया है।
 - इसमें एक अधिक पारदर्शी और परामर्शी तंत्र शामिल हो सकता है, जैसे किंवित या संसदीय समिति, जो योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकती है।
 - राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव या न्यायिक जाँच की आवश्यकता के साथ राज्यपालों के नियन्त्रण को और भी कठनि बनाया जा सकता है।
- **राज्यपाल को राष्ट्रपति जैसा दर्जा प्रदान करना:** राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के प्रतितिस्तीत तरह जवाबदेह बनाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय संसद के प्रतिज्ञान करने होता है। राज्यपाल के लिये भी नियवाचति से नियुक्ति और महाभियोग से नियन्त्रण जैसे उपाय किये जा सकते हैं।
 - राज्यपाल को एक नियवाचति प्रतिनिधि बनाना: राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के बजाय राज्य का एक नियवाचति

प्रतनिधि बिनाया जा सकता है।

- इससे इस पद की जवाबदेही एवं वैधता बढ़ सकती है और केंद्र द्वारा हस्तक्षेप या प्रभाव की गुजाइश कम हो सकती है।
- राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल या राज्य के लोगों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है।

- महाभयोग योग्य:** राज्यपाल को संविधान के उल्लंघन या कदाचार के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा **महाभयोग योग्य (Impeachable)** बनाया जा सकता है।
 - यह राज्यपाल की शक्ति और अधिकार पर नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान कर सकता है और पद के कसी भी दुरुपयोग को रोक सकता है।
 - राज्यपाल पर महाभयोग की प्रक्रिया को राष्ट्रपति पर महाभयोग की प्रक्रिया के समान बनाया जा सकता है, जहाँ कुल सदस्यता के बहुमत और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तहिं बहुमत की आवश्यकता होगी।

विभिन्न समतियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए संवेधानकि सुधार

■ सरकारिया आयोग (1988):

- राज्यपाल की नियुक्तिराष्ट्रपतिद्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहयि।
- राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के कसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहयि और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहयि जहाँ वह नियुक्त किया जा रहा है।
- दुर्लभ एवं बाध्यकारी परस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहयि।
- राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहयि न कि केंद्र के एजेंट के रूप में।
- राज्यपाल को अपनी विकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमित और विकापूरण तरीके से करना चाहयि और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिये नहीं करना चाहयि।

■ वैकटचलैया आयोग (2002):

- राज्यपालों की नियुक्तिएक समतियों को सौंपी जानी चाहयि जसिमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
- राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहयि, जब तक कि दुरव्यवहार या अक्षमता के आधार पर वे इस्तीफा नहीं दे देते या राष्ट्रपतिद्वारा हटा नहीं दिया जाते।
- केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की कोई भी कार्रवाई करने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहयि।
- राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहयि। उन्हें राज्यसरकार के मित्र, दारशनकि एवं मार्गदरशक के रूप में कार्य करना चाहयि और अपनी विकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहयि।

■ पुंछी आयोग (2010):

- आयोग ने संविधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सफिराशि की, जसिके अनुसार राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है।
 - इसके बजाय, आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाना चाहयि, जो राज्यों के लिये अधिक स्थिरिता और स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।

■ बी.पी. सधिल बनाम भारत संघ (2010):

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के निरिण्य में कहा कि राष्ट्रपति कसी भी समय और बनि कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि राज्यपाल भारत के संविधान के **अनुच्छेद 156(1)** के तहत 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि न्यायालय ने यह भी कहा कि पिंड से उसका निषिकासन मनमाना, मनमोजी या अनुचित कारणों पर आधारित नहीं होना चाहयि।

निषिकरण

भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि इस पद का पूरण उन्मूलन अविकापूरण समझा जाता है, पारदरशी नियुक्ति, जवाबदेही की वृद्धि और सीमित विकाधीन शक्तियों के प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। लोकतांत्रिक सदिधांतों को कमज़ोर किये बनि राज्यपाल के पद के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये राज्य और केंद्र के हतियों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: राज्यपाल के पद से जुड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये और विभिन्न समतियों द्वारा की गई सफिराशियों से अंतरदृष्टिप्राप्त करते हुए वर्तमान नियुक्तिएवं निषिकासन प्रक्रिया में सुधार के प्रस्ताव कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा विभिन्न समतियों द्वारा की गई उत्तरांकित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नियुक्तिराष्ट्रपति के लिये विभिन्न समतियों द्वारा की गई उत्तरांकित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नियुक्तिराष्ट्रपति के लिये विभिन्न समतियों द्वारा की गई उत्तरांकित वर्षों के प्रश्न

- कसी राज्य के राज्यपाल के विकाधीन पदावधि के दौरान कसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाही संस्थापित नहीं की जाएगी।
- कसी राज्य के राज्यपाल की परलिबधियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

प्रश्न. कसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं? (2014)

1. राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये भारत के राष्ट्रपति को रपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारति कुछ विधियों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित
4. रखना राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही व्यक्तिको एक समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- (b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।
- (c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकिथति नहीं है।
- (d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्तिउपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है।

उत्तर: (c)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-governor-s-role-challenges-and-reform-proposals>